[श्री युवराज]

हाउस में माननीय सदस्य जो पारित करते हैं, उसे लेजिस्लेशन बनाते हैं, उस पर अपर हाउस विचार कर उसे पारित करता है। अपर हाउस डिमाण्ड्स पर विचार कर अपना कोई संशोधन पेश नहीं कर सकता है। फाइनेंस बिल को वह वोट डाउन नहीं कर सकता है या किसी मनी बिल पर वह कोई अमेंडमेंट पेश नहीं कर सकता है। देश के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन पर जो चेक एण्ड बेलेंस का काम होता है, वह हाउस नहीं करता है। महत्वपूर्ण कार्य करने में वह हाउस असमर्थ है।

आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि एक समाजवादी देश स्वीडन ने अभी हाल में अपने दूसरे सदन को अबोलिश करके अपने यहां एक सदनीय संसद कायम की है। सभापति जी, इतना ही नहीं, जब भारत के ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन पर बहस चल रही थी उस समय भी श्री लोकनाथ मिश्र जी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था और अपना अमेंडमेंट भी मूव किया था जो इस प्रकार है—

> "In moving amendment, he stated: "It is now admitted almost on all hands that second chambers are out of date."

सभापति महोदय, यहां इस संदर्भ में यह भी कहा गया कि ऐसा करके हम अपनी पुरानी परम्परा को खोयेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अनेक देशों में धीरे-धीरे इसे अनावश्यक मान कर और इस पर होने वाले अनावश्यक खर्च को खत्म किया जा रहा है। इस सदन की सिवाय इसके कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ रिटायर्ड पोलिटिशियंस को रख दिया जाए, उनका मेंटीनेंस कर दिया जाए। इसके अलावा इसका कोई और महत्वपूर्ण काम नहीं है। मेरे विचार में विधान परिषद् कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाती है जिससे कि उसके अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य सिद्ध हो सके। दूसरे जिन देशों में हमारी तरह का लोकतंत्र है और जिस देश की लोकतंत्रीय पद्धति का हमने अनुसरण किया है, ऐसे तमाम देशों में वहां की जनता यह विचार करने लगी है कि इस अपर हाउस की क्या आवश्यकता है। इसलिए जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने विचारों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है और इस अपर हाउस को खत्म करने की मांग की है, मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों की और मेरी भी यही राय है कि इस सुपर इंस्टीट्यूशन को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता के बहुत सारे मूलभूत काम इस हाउस के द्वारा नहीं होते हैं, वे लोअर हाउस के द्वारा ही किये जाते हैं। इसलिए इस हाउस को अबोलिश कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore) : Sir, I rirse to support the Resolution moved by my hon. colleague, Shri Suman.

This very concept of a bicameral system of legislature is rather a very old idea of practising democracy because in those days when the mother of parliamentary democracy came into being in Britain, there was a House of Lords and the the House of the People and they used to hear about the old concept of checks and balances. It is in that light that our Constitution was framed. The founding fathers of the Constitution had given shape to an Upper House. I do not wan to repeat those arguments advanced by my friends. They said that it did not prove its worth either in the shape of Rajya Sabha or in the shape of Upper Houses in various States and that it could not justify its existence by rendering any useful service to the country. On the contrary, what we had experienced is that it approved to be a very big luxury, an expensive luxury which this country could not afford. And that is one of the reasons advanced by Mahatma Gandhi when he expressed his view that he did not support also an Upper Chamber in this country. Let us not forget the fact that we are living in a country where there is party system. We are not living in a partyless democracy. So, whatever be the nature of the House constituted in the Rajya Sabha or in the Upper Houses, it is ultimately the party whip which will decide whether a resolution or a bill or whatever it may be, should be adopted or rejected. In that situation, it is not going to add any more checks or balances on the decisions which a Lower House will take. Therefore, I do not find any justification for continuance of the Upper House. On the contrary, what we find is that it is used as a place to accommodate political friends and political colleagues who were defeated in the elections by the people. In the elections those who lost can conveniently find a place in the Rajya Sabha by getting nominations by influencing party or their friends. That way, that does not seem to be a proposition by which we can expect that democracy will be further safeguarded by the Upper House.

These are some of my arugments in support of this Resolution moved by my friend, Shri Suman.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : प्रत्येक युग में कोई न कोई अन्ध विश्वास होता है। इस युग में राजनीति के क्षेत्र में एक अन्ध विश्वास